

प्रका.

**विद्यार्थी परिषद, दिल्ली**  
**की संस्था**  
**के लिए प्रमाण पत्र**

सेवा में

**श्री. राजेश कुमार शर्मा**  
**विद्यार्थी परिषद, दिल्ली**  
**के लिए प्रमाण पत्र**

विषय 171 अनुदान

तारीख: दिनांक: 04 जु, 2002

विषय:- **विद्यार्थी परिषद द्वारा दिल्ली के विद्यार्थियों के संस्था के अनुदान प्रमाण पत्र दिने जाने के लिए ।**

महोदय,

**उपरोक्त विषय पर जो वक्तव्य का निवेदन प्राप्त है कि विद्यार्थी परिषद**  
**द्वारा दिल्ली के विद्यार्थियों के संस्था के लिए**

संबंधित हेतु अनुदानित प्रमाण पत्र दिने जाने में उक्त राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन अनुदानित नहीं है :-

- 111 विधानसभा की संजीवित संस्थाओं का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विधानसभा की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विधानसभा में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उन्हे 3090 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विधानसभा में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विधानसभा माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बालिका शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विधानसभा की संस्था केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कोटिल फार्म दि इण्डियन स्कूल सर्विफिसेट इकायमिशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषद की संस्था प्राप्त होने की तिथि से उक्त माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।

**RENU CHATURVEDI**  
PRINCIPAL  
**DELHI PUBLIC SCHOOL MEERUT**  
(An Institution of M. P. Singh Foundation)  
MEERUT (U.P.)

**MADAN P. SINGH**  
Principal  
**DELHI PUBLIC SCHOOL MEERUT**  
(An Institution of M. P. Singh Foundation)  
MEERUT (U.P.)

Principal  
DELHI PUBLIC SCHOOL  
MEERUT (U.P.)

- 151 संस्था विधि एवं विनियमन कार्यवाहियों को राज्यीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कार्यवाहियों को अनुसूच्य केंद्रमयानों तथा अन्य मरतों से कम केंद्रमयान तथा अन्य मरतों नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कार्यवाहियों के सेवा को सुरक्षा कवचों और उन्हें सहायता प्राप्त असाहायिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कार्यवाहियों को अनुसूच्य सेवाभिरुक्ति का नाम उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर की गई आदेश विधि लिये जायेंगे संस्था उनका पालन करेंगे ।
- 181 विधान्य का विधान्य विनियमन प्रत्येक/संस्थाओं से रखा जायेंगे ।
- 191 उक्त मरतों से राज्य सरकार के पुनर्निर्देशन के बिना कोई पारदर्श/हस्तोक्त/परिचर/बकीरिया करीया ।

- 2- प्रविष्टि यह भी होना कि संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि :-
  - 11: धारणादेश दि. 20-11-61 के अन्तर्गत प्रविष्टियों का सम्बन्ध होना-यही नियमवली से तत्काल आज्ञा प्राप्त की अवका अवका बरिये ।
  - 12: विधान्य में विधि एवं अनुसूच्य कार्यवाहियों के विनियमन तत्काल की जायेंगे, एवं
  - 13: विधान्य प्रदान की वेतन में उचित बदलाव के दिशा जायेंगे ।

3- उक्त प्रविष्टियों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रविष्टियों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की रुक या विचलन करती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदान अनुसूचित प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेंगा ।

*Renu Chaturvedi*  
 RENU CHATURVEDI  
 PRINCIPAL  
 DELHI PUBLIC SCHOOL MEERUT  
 (An Institution of M.P. Singh Foundation)  
 MEERUT U.P.

भरती, 1 अक्टूबर 1961  
 उक्त मरतों ।

1080-15834/15-7-61/222 दिनांक

- 1- प्रविष्टि विनियमन की सुधार एवं अनुसूच्य कार्यवाहियों के दिशा में उचित विदेश्य उत्तर प्रदेश सरकार ।
- 2- अनुसूच्य संस्था शिक्षा विभाग, मेरठ ।
- 3- शिक्षा विभाग विनियमन, मेरठ ।
- 4- विनियमन, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मेरठ ।
- 5- प्रमुख शिक्षण विभाग, दिल्ली-110002 मेरठ ।
- 6- कार्य शुभ ।

*Madan Pal Singh*  
 MADAN PAL SINGH  
 MANAGER  
 DELHI PUBL. SCH. MEERUT  
 (An Institution of M.P. Singh Foundation)  
 MEERUT (U.P.)

उक्त मरतों, 1 अक्टूबर 1961  
 उक्त मरतों ।

PRINCIPAL  
 DELHI PUBLIC SCHOOL  
 MEERUT (U.P.)